

रिपोर्ट पदवाची हलका / आर्दोपलवाचो
 आयेदन पत्र को सावधान से जाय की गई। जिसके अनुसार

खासगी के खाता क्र 86, 92, 93, 131 में प्राची का नाम माधो कुंमोराम
 लक्ष्मी के जिम्मे स्थान पर स्थान देना के लिए माधो कुंमोराम
 माधोराम शुद्ध किया जाना उचित है।
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक -

राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिराश की जाती है।
 जाती है।

7/12/2021
 तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

3/19/21

रिक्त जाग्य
 उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुमुनू (राज.)
 - आदेश :-

दिनांक :- 7/12/21

प्राची के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 नमनांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अनल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	जिरावडी	2075	86	माधो कुंमोराम	माधोराम कुंमोराम
		+	92		
		2078	93		
			131		

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 7/12/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1995

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्राची / प्राचीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी